

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड, जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 488 / 2012

संस्थान दिनांक 18 / 10 / 2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड

जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. मुकेश पिता जीवन कोली, उम्र-30 वर्ष,
निवासी ब्राम्हणगांव थाना अंजड, जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।

//निर्णय //
(आज दिनांक को घोषित)

01. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 274/2012 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.10.2012 को समय 22:00 बजे, स्थान बड़दा पुर्नवास स्थल रोड किनारे, अंजड में शासकीय स्थान से 16 टन काली रेत को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने तथा ट्रक एम0पी0 09 के0डी0 8001 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज रेती का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करके भा0द0सं0 की धारा 379 एवं म.प्र. गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 08.10.2012 को थाना अंजड के निरीक्षक पी0एस0 कनौजे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 ग्राम बड़दा पुर्नवास स्थल रोड किनारे अंजड में नर्मदा नदी शासकीय भूमि से बालु रेत भरकर अंजड होते हुये इंदौर की ओर लेकर जाने वाला है । सूचना पर विश्वास कर पंच धर्मेन्द्र पिता अशोक तथा देवेन्द्र पिता सीताराम लोहार को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया तथा उन्हें साथ में लेकर पुलिस फोर्स के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर गये वहा जाकर देखा कि ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 बड़दा पुर्नवास स्थल अंजड पर नर्मदा नदी की तरफ खड़ा था जिसके पास पहुंचे तो उक्त ट्रक का चालक ट्रक से भाग गया जिसका पीछा किया किन्तु रात का आंधेरा होने से एवं झाड़िया होने से वह भाग गया था ट्रक को चेक करने पर 16 टन काली रेत भरी हुयी किन्तु कोई कागजात नहीं मिले आरोपी चालक का उक्त कृत्य भा0द0सं0 की धारा 379 एवं म.प्र. गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) अधिनियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 के अंतर्गत का अपराध होने से ट्रक काली रेत सहित पंचों के साथ थाने पर लाकर उक्त ट्रक चालक के विरुद्ध उक्त अपराध क्रमांक 274/12 दर्ज करके घटना स्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाया था।

साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। घटना स्थल का ट्रेस नक्शा पटवारी से प्राप्त किया तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा.द.सं. तथा 4(1ए) सहपठित धारा 21(1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) अधिनियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का आरोप निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना प्रगट किया किन्तु बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि:-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.12.2012 को समय 22:00 बजे, स्थान- बडदा पुर्नवास स्थल रोड किनारे अंजड में शासकीय स्थान से 16 टन काली रेत को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज रेत की एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर ऐसा कृत्य किया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21(1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र.गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है ?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

06. चूंकि दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिये उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। पी0एस0 कनौजे (अ.सा.06) का कथन है कि दिनांक 08.12.2012 को वह थाना अंजड में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह तथा कुंवरसिंह को रोड गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 का चालक नर्मदा नदी की शासकीय जमीन से काली रेत ट्रक में भर कर अंजड बडदा पुर्नबसाहट होते हुये इंदौर लेकर जाने वाला है तो उसने मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये पंच धर्मेन्द्र पिता अशोक तथा देवेन्द्र पिता सीताराम को तलब कर मुखबिर की सूचना से आवगत कराया तथा उन्हें साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा। बडदा पुर्नबसाहट अंजड पर जाकर देखा कि, नर्मदा नदी की ओर से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 आया उसका चालक ट्रक से कुद कर भाग रहा था जिसका पीछा किया किन्तु अंधेरा होने एवं झाडियां होने से चालक मौके से फरार हो गया ट्रक में लगभग 16 टन काली रेत भरी हुयी थी तथा वाहन के अंदर दस्तावेजों की जांच करने पर रेत परिवहन करने संबंधित कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ था उसने मौके से ही ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 जिसमें लगभग 16 टन काली रेत भरी हुई थी को जप्त कर प्र0पी0 1 का जप्ती पंचनामा बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह जप्त ट्रक को रेत सहित थाना अंजड लेकर आये तथा उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रं0 274/12 प्र0पी0 10 का दर्ज किया जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर है । उसने विवेचना के दौरान साक्षी देवेन्द्र और धर्मेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये । उसने तहसीलदार अंजड तथा खनिज अधिकारी बडवानी से ट्रेस नक्शा ,खसरा एवं बिना रायल्टी के रेत परिवहन करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी जिनके पत्र डायरी में संलग्न है ।

7. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि,जब भी थाने से किसी कार्यवाही के लिये रवाना होते हैं तो उसकी रवानगी रोजनामचें में डालते हैं तथा इस प्रकरण में रोजनामचें की प्रति संलग्न नहीं है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती के समय रेत को तौला नहीं था । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, प्र0पी0 1 और प्र0पी0 10 की लिखावट उसकी हस्तलिपि में नहीं है लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिनस्थ निर्भयसिंह ने उसके कहे अनुसार लिखी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, साक्षी देवेन्द्र थाने का वाहन चालाता है या धर्मेन्द्र थाने पर साफ सफाई का काम करता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि धर्मेन्द्र के कथन उसकी हस्तलिपि में नहीं है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिये अथवा उसने आरोपी के विरुद्ध असत्य प्रकरण दर्ज किया है ।

8. देवेन्द्र(अ.सा.01)का कथन है कि, घटना दि0 08.10.12 को थाना अंजड में सूचना आयी कि, बडदा बसाहट की ओर से मोहीपुरा की ओर ट्रक में रेत भर कर लायी जा रही है तो वह तथा धर्मेन्द्र एवं थाना अंजड के प्रभारी श्री कनौजे के साथ बडदा पुर्नवास गायत्री मंदिर गया था वहां रेत से भरे हुये ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर चला गया उसे ट्रक का क्रमांक याद नहीं है पुलिस ने घटना स्थल से ट्रक जप्त कर पंचनामा प्र0पी0 1 का बनाया था तथा ट्रक के कागज प्र0पी0 2 के अनुसार जप्त किये थे जिनके ए से ए भागो पर उनके हस्ताक्षर हैं ।साक्षी का यह भी कथन है कि, पुलिस ने आरोपी को थाना अंजड पर गिरफ्तार किया था लेकिन उसके सामने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की । साक्षी का यह भी कथन है कि, पुलिस के साथ वह और आरोपी घटना स्थल पर गये थे जहां पर घटना स्थल का तस्दीक पंचनामा प्र0पी0 5 का बनाया था साक्षी ने प्र0पी0 4,5 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया है ।

9. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी ने स्वीकार किया है कि, वह थाना अंजड पर वाहन चालक का काम करता है उसका अक्सर पुलिस के साथ जाने का काम पड़ता है, उसने पुलिस के कई प्रकरणों में हस्ताक्षर किये हैं और न्यायालय में कई प्रकरणों में साक्ष्य भी दी है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि, घटना स्थल पर सभी पंचनामों में प्र0 आर0 निर्भयसिंह ने बनाये थे । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, प्र0पी0 1 से प्र0पी0 5 को उसने नहीं पढा था तथा पुलिस ने भी उसे पढकर नहीं बताया था । लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने कोरे पंचनामों पर हस्ताक्षर किये थे ।

10. धर्मेन्द्र(अ.सा.02) भी उक्त रेत भरी ट्रक को जप्त करने का साक्षी है लेकिन उक्त साक्षी ने आरोपी को पहचानने तथा उसके सामने प्र0पी0 1 से प्र0पी0 5 की कार्यवाही पुलिस द्वारा करने से स्पष्ट इंकार किया है । न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, पुलिस ने उसे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी । साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि, वह तीन वर्ष पूर्व थाना प्रभारी अंजड के साथ पुर्नवास स्थल अंजड गया था जहां ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 को भरी हुई रेत के साथ पकड़ा था । यहां तक कि, साक्षी ने पुलिस को प्र0पी0 8 का कथन देने से भी स्पष्ट इंकार किया है । साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, वह असत्य कथन कर रहा है ।

11. निर्भयसिंह मुजाल्दे (अ.सा.03)का कथन है कि, दि0 09.10.12 को थाना अंजड के अपराध क्रं0 274/12 की विवेचना के दौरान उसने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया था तथा आरोपी के पेश करने पर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 8001 का पंजीयन प्रमाण पत्र, फीटनेस ,बीमा पॉलिसी तथा आरोपी की चालक अनुज्ञप्ती प्र0पी0 2 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने आरोपी मुकेश की निशादेही से प्र0पी0 7 का घटना स्थल का पंचनामा बनायाथा जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने आरोपी से पूछताछ की थी तथा प्र0पी0 4 का

मेमोरेण्डम उसकी सूचना के आधार पर बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है । वह ,आरोपी और साक्षीगण को साथ लेकर नर्मदा नदी ग्राम मोहीपुरा पहुंचकर आरोपी ने उसे वह जगह दिखायी थी जहां से उसके द्वारा ट्रक में रेती भरवायी गयी थी , जिसका तस्दीक पंचनामा प्र०पी० 5 का उसने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसने तहसील कार्यालय अंजड से घटना स्थल ट्रेस नक्शा तथा वर्ष 2012-13 का खसरा ग्राम मोहीपुरा पटवारी हल्का नं० 13 का प्राप्त किया था , जो प्र०पी० 8 लगायत 10 है , उसने विवेचना के दौरान आरक्षक कुंवरसिंह के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे ।

12. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, अंजड के समीप ग्राम छोटा बडदा, दतवाडा,मोहीपुरा,केसरपुरा, गोलाटा सभी गांव नर्मदा के समीप है जिसमें आवागमन के साधन उपलब्ध है और सभी लोग आसानी से आ जा सकते हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, साक्षी देवेन्द्र थाने का वाहन चालक था और धमेन्द्र थाने का सफाई कर्मी है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, मोहीपुरा बसावहट में निर्माण कार्य चल रहे हैं और लोगो के रेत, सीमेंट आदि सामग्री बाहर ही पड़ी रहती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, प्र०पी० 2 की लिखापट्टी उसके थाने पर की थी लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने प्र०पी० 4 और प्र०पी० 5 का पंचनामा थाने पर बैठकर बनाया है या उसने असत्य विवेचना की है ।

13. रेवाराम मंडलोई (अ.सा.05)का कथन है कि, वह ग्राम मोहीपुरा के पटवारी हल्का नं० 13 में, सन् 1994 से पदस्थ है उसे वर्ष 2012-13 में तहसीलदार अंजड द्वारा ग्राम मोहीपुरा के पटवारी हल्का नं० 13 के नर्मदा किनारे रेत से संबंधित ट्रेस नक्शा मांगा था तो उसने सर्वे क्र० 325/1 शासकीय भूमि का नक्शा बना कर दिया था उस पर लाल स्याही से वह स्थान चिन्हित किया था जहां पर रेत संग्रहित की गयी थी साक्षी ने ट्रेस नक्शा प्र०पी० 9 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उसने ट्रेस नक्शा तहसील कार्यालय में बैठकर तैयार किया था । साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने ट्रेस नक्शा नहीं बनाया था या वह असत्य कथन कर रहा है ।

14. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना,समय ,दिनांक और स्थान से शासकीय भूमि से 16 टन काली रेत चोरी करने अथवा उक्त ट्रक क्र० एम०पी० 09 के०डी 8001 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे हुये खनिज रेती का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। यहां तक भी किसी के साक्षी के कथन से यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि, घटना के समय आरोपी उक्त ट्रक चला रहा था अथवा आरोपी मुकेश ही पुलिस द्वारा उक्त ट्रक को जप्त करते समय उसमें से उतरकर भाग गया था । यहां तक कि, आरोपी का उक्त वाहन से कोई संबंध होना भी अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है ।

15. ऐसी स्थिति में अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है । अतः न्यायालय आरोपी मुकेश पिता जीवन आयु 30 वर्ष निवासी ब्राह्मणगांव थाना ठीकरी को भा०द०सं० की धारा 379 एवं म०प्र० गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 एवं म०प्र० खनिज अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण अधिनियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 के अपराध से दोषमुक्त घोषित करे आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द०प्र०सं० की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये ।

16. ट्रक क्र० एम०पी० ०९ के०डी० ८००१ सुपुर्दगी पर है, अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा भारमुक्त किया जाये तथा जप्त की गयी १६ टन रेत राजसात करने के लिये कलेक्टर बड़वानी को निर्णय की प्रति के साथ पत्र जारी किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

सही/—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही/—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी (म०प्र०)

// धारा ४२८ दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़,
जिला-बड़वानी म०प्र० आपराधिक प्रकरण क्रमांक २८४/२०१४ (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध

मांगीलाल) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- मांगीलाल पिता मथुरालाल कोली, आयु 24 वर्ष,
निवासी—ग्राम ठीकरी, थाना—ठीकरी, जिला—बड़वानी
(म.प्र.)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 11.12.2014 से 12.12.2014

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त निरंक अवधि तक रहा है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0